विनोबा नगर के कचरा ट्रांसफर स्टेशन को किया बंद

रतलाम। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार शहर के पांच कचरा ट्रांसफर स्टेशन अमृत सागर, विरियाखेड़ी, ईश्वर नगर, विनोबा नगर व पोलोग्राउंड में से विनोबा नगर के कचरा ट्रांसफर स्टेशन को स्थायी रूप से बंद किया गया है।

अब विनोबा नगर आने वाला कचरा पोलोग्राउंड कचरा ट्रांसफर स्टेशन पर ले जाया जाएगा। विनोबा नगर में अब किसी भी प्रकार का कचरा खाली नहीं किया जाएगा। यहां आने वाला कचरा पोलोग्राउंड कचरा ट्रांसफर स्टेशन पर ले जाया जाएगा, जहां सूखा कचरा ग्रीन नेट के अंदर खाली कर गीला कचरा काम्पेक्टर में लोड किया जाकर जुलवानिया प्रतिदिन भेजा जाएगा।

विनोबा नगर कचरा ट्रांसफर स्टेशन बंद

रतलाम | सफाई व्यवस्था के मद्देनजर नगर निगम ने विनोबा नगर कचरा ट्रांसफर स्टेशन को बंद कर दिया है। अब शहर में पांच के बजाए चार स्टेशन रह गए हैं। इनमें अमृत सागर, विरियाखेड़ी, ईश्वर नगर व पोलोग्राउंड ट्रांसफर स्टेशन शामिल है। अब विनोबा नगर आने वाला कचरा पोलोग्राउंड कचरा ट्रांसफर स्टेशन पर ले जाया जाएगा।

5 के स्थान पर 4 कचरा ट्रांसफर स्टेशन

विनोबा नगर के कचरा ट्रांसफर स्टेशन को किया गया बंद

रतलाम. नगर निगम ने शहर में शुक्रवार से कचरा ट्रांसफर के लिए काम करने वाले विनोबा नगर सेंटर को बंद कर दिया है। अब तक शहर में पांच स्थान पर कचरा ट्रांसफर स्टेशन थे, विनोबा नगर के स्टेशन को बंद करने के बाद अब इनकी संख्या चार रह गई है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया नगर के 5 कचरा ट्रांसफर स्टेशन अमृत सागर, विरियाखेड़ी, ईश्वर नगर, विनोबा नगर व पोलोग्राउण्ड में से विनोबा नगर के कचरा ट्रांसफर स्टेशन को स्थाई रूप से बंद किया गया है अब विनोबा नगर आने वाला कचरा पोलोग्राउण्ड कचरा ट्रांसफर स्टेशन पर ले जायेगा। इसके लिए स्वास्थ्य अधिकारी, झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा, सफाई संरक्षक, कचरा संग्रहण वाहन चालक व हेल्परों को आदेश जारी कर दिए है कि विनोबा नगर में अब किसी भी प्रकार का कचरा खाली नहीं किया जायेगा। जहां सूखा कचरा ग्रीन नेट के अन्दर खाली कर गीला कचरा काम्पेक्टर में लोड किया जाकर जुलवानिया प्रतिदिन भेजा जायेगा। बता दें कि इसके पूर्व शहर में विभिन्न मोहल्लों में जो कचरा संग्रहण स्थल थे उनको नगर निगम ने बंद किया था व वहां पर रांगोली बनाना शुरू कर दिया है।

5 के स्थान पर 4 कचरा ट्रांसफर स्टेशन होंगे

रतलाम। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर के 5 कचरा ट्रांसफर स्टेशन अमृत सागर, विरियाखेड़ी, ईश्वर नगर, विनोबा नगर व पोलोग्राउण्ड में से विनोबा नगर के कचरा ट्रांसफर स्टेशन को स्थाई रूप से बंद किया गया है अब विनोबा नगर आने वाला कचरा पोलोग्राउण्ड कचरा ट्रांसफर स्टेशन पर ले जायेगा। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने स्वास्थ्य अधिकारी, झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा, सफाई संरक्षक, कचरा संग्रहण वाहन चालक व हैल्परों को निर्देशित किया कि विनोबा नगर में अब किसी भी प्रकार का कचरा खाली नहीं किया जायेगा यहां आने वाला कचरा पोलोग्राउण्ड कचरा ट्रांसफर स्टेशन पर ले जाया जायेगा जहां सूखा कचरा ग्रीन नेट के अन्दर खाली कर गीला कचरा काम्पेक्टर में लोड किया जाकर जुलवानिया प्रतिदिन भेजा जायेगा।

सीवरेज कार्य करने वाली कंपनी को निगम ने जारी किया नोटिस

13 स्थानों पर कार्य की अनुमति के बाद भी कार्य प्रारंभ नहीं हुआ

रतलाम ● स्वदेश समाचार 17-4-2021

कलेक्टर एवं प्रशासक गोपालचन्द्र डाड द्वारा तालाबंदी अवधि में 13 स्थानों पर सीवरेज का कार्य पूर्ण किए जाने की विशेष अनुमति दिए जाने के पश्चात भी कुछ स्थानों पर कार्य प्रारंभ नहीं किए जाने, अतिरिक्त मिट्टी हटाने, रौलिंग एवं वाटरिंग तथा रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण नहीं किए जाने पर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने जयवरूड़ी इन्फ्राकॉन प्रायवेट लिमिटेड को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण चाहा है।

निगम आयुक्त ने स्थलों का निरीक्षण करते हुए सर्वप्रथम साक्षी पेट्रोल पम्प से नया गांव राधा-कृष्ण मंदिर तक प्रारंभ किए। सीवरेज कार्य का निरीक्षण कर कम्पनी के इंजीनियर को कार्य तेजी से किए जाने के निर्देश दिए ताकि नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो इसके अलावा खुदाई कार्य के दौरान पेयजल पाइप लाइन, नल कनेक्शन व दूरसंचार की केबल क्षतिग्रस्त ना हो इसका विशेष ध्यान रखे जाने हेतु भी निर्देशित किया। निगम आयुक्त ने सैलाना बस स्टेण्ड पर महाराणा प्रताप प्रतिमा तक दोनों तरफ 160 एम.एम. डाया की 150 मीटर कार्य का निरीक्षण करने पर अवगत कराया गया कि पाइप-लाइन डालने का कार्य पूर्ण हो चुका है। निगम आयुक्त ने गेलड़ा नमकीन से चमारिया नाका तक 200 एम.एम. डाया की 700 मीटर बिछाई जा रही सीवरेज लाइन कार्य का निरीक्षण किया जिसमें घांस बाजार तक लाइन बिछाने का कार्य पूर्ण पाए जाने पर कम्पनी के इंजीनियरों के साथ चमारिया नाका तक का निरीक्षण कर निर्देशित किया कि वे इस कार्य को भी तेजी से कर 19 अप्रैल तक कार्य पूर्ण करें। इस दौरान उन्होंने फूलमण्डी के पास चल रहे सीवरेज कार्य का भी निरीक्षण किया।

तोपखाना से चांदनी चौक तक चल रहे समतलीकरण कार्य के निरीक्षण के दौरान निगम आयुक्त ने निर्देशित किया कि रिस्टोरेशन कार्य में तेजी लाए जाने के निर्देश संबंधित को दिए। इसी तरह गौशाला रोड चौराहे पर भी रिस्टोरेशन कार्य किए जाने के निर्देश दिए। निगम आयुक्त श्री झारिया ने हाट की चौकी चौराहा से सुभाष नगर की सीवरेज लाइन जोड़ने के कार्य का निरीक्षण किया।

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार [illegible] –पृष्ठ 15 ...दिनांक..16-4......2021

शहर के प्रमुख चौराहों पर नगर निगम ने दिया कोरोना से बचाव का संदेश

रतलाम। नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया कि कोविड-19 महामारी के समय में सभी को गाईड लाईन का पालन करना चाहिए। यह समय विशेष सावधानी बरतने का है। ऐसे में मास्क, दो गज की दूरी और सैनेटाईजेशन का विशेष महत्व है। जिला व नगर निगम प्रशासन जनता को जागरुक करने के विशेष प्रयास सतत जारी रखे हुए है। जनता को इस अभियान में सहयोग देकर अपने और अपने परिवार को कोरोना से बचाने के लिए विशेष सावधानी बरतना होगी।

कलेक्टर व निगम प्रशासक गोपालचंद डाड और निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशन में अब ना कोई बहाना-मास्क है लगाना अभियान के तहत बुधवार को शहर के प्रमुख चौराहों पर सफाई मित्र समूह ने रंगोली के माध्यम से लोगों से कोरोना से बचाव का संदेश दिया है। इस मौके पर आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया कि अगर किसी को खांसी और जुकाम है तो मास्क अवश्य पहनें. भीड़-भाड़ वाली जगहों पर मास्क अवश्य पहनें। कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीज की देखभाल कर रहे हैं तो मास्क लगाएं। मास्क पहनने से पहले हाथ अच्छी तरह साफ करें। मुंह और नाक को मास्क से पूरी तरह से ढंकें। मास्क पहनते समय मुंह और नाक के पास कोई गैप ना रखें। मास्क पहनने के बाद इसे हाथों से ना छूएं। यदि मास्क छू लिया है तो हाथों को तुरंत साफ करें. एक मास्क इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इस्तेमाल ना करें। मास्क को बार-बार छूने से बचें. यदि आप स्वस्थ हों तो मास्क पहनने से बचें. मास्क को अपने गले पर ना लटकाएं। अगर मास्क गीला हो जाए तो उसे 6 घंटे के अंदर बदल दें. जैसे मास्क पहनने का सही तरीका है, वैसे ही उतारने का भी। मास्क को कभी भी बाहर की तरफ से हाथ ना लगाएं। मास्क को पीछे से उतारे और डस्टबीन में डाल दें. मास्क उतारने के बाद हाथ सैनिटाइज करें।

बचाव का बेहतर तरीका है मास्क

कोरोना वायरस संक्रमण से जंग जीत ली है तो इस लाइलाज बीमारी से सुरक्षित रहने का एकमात्र उपाय है कि हम एक दूसरे से शरीर दूरी बना कर रहे और मास्क अनिवार्य रूप से पहने। मास्क वर्तमान में कोरोना से बचाने में वैक्सीन जैसी भूमिका निभा रहा है। मास्क की उपयोगिता जानने के बावजूद लोग लापरवाही कर रहे हैं जबकि सजगता ही इस महामारी से सुरक्षित रख सकती हैं।

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार–नईदुनिया–पृष्ठ 20 दिनांक 17-4-2021

प्रभारी मंत्री के आश्वासन के 48 घंटे बीते, हालात में सुधार नहीं

कोरोना से जंग ● मेडिकल कालेज में बेड फुल, वैकल्पिक इंतजाम नहीं किए, मृत मरीजों के स्वजनों ने उपचार में लापरवाही के आरोप लगाए

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। कोरोना के उपचार में हो रही लापरवाही व अव्यवस्थाओं को सुधारने के लिए जिला कोविड प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा के दो दिनों में सुधार के आश्वासन के तीसरे दिन भी मरीज व उनके स्वजन परेशान होते रहे। मेडिकल कालेज में शुक्रवार को भी मृत मरीजों के स्वजनों ने आक्रोश जताते हुए उपचार में लापरवाही के आरोप लगाए।

13 अप्रैल को रतलाम दौरे में मेडिकल कालेज के निरीक्षण के बाद प्रभारी मंत्री देवड़ा ने माना था कि व्यवस्थाओं में कमियां है। दो दिन में सुधार हो जाएगा। 16 अप्रैल को भी हालात वैसे ही रहे। हेल्प डेस्क पर मरीजों के स्वजनों को समय-समय पर जानकारी देने के लिए कहा गया था, लेकिन स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही है। आसपास के जिलों से भी मरीज रतलाम आ रहे हैं। एंबुलेंस से कालेज तक मरीज को लाने के बाद भर्ती कराने के लिए दो से तीन घंटे का समय लग जाता है। वर्तमान में कालेज में गंभीर मरीजों व आक्सीजन वाले बेड फुल हैं। वैकल्पिक इंतजाम नहीं किए गए और जवाठ माता मंदिर के पीछे जो कोविड सेंटर शुरू किया गया, वहां भी मरीजों को ठीक से सुविधा नहीं मिल पा रही है। मेडिकल कालेज में अस्थाई तौर पर नर्सिंग स्टाफ के 153 पदों पर 14 अप्रैल से इंटरव्यू के माध्यम से सीधे नियुक्ति की जा रही है। शुक्रवार को 26 आवेदकों को नियुक्ति देने के बाद अब 58 पद खाली हैं। पद भरने तक इंटरव्यू जारी रहेंगे। इसी तरह 18 डाक्टरों की भर्ती के लिए भी कालेज प्रबंधन ने विज्ञप्ति जारी की है। डिप्लोमा धारक डाक्टर को 1.10 लाख व डिग्रीधारक को 1.25 लाख रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे।

सैलाना रोड स्थित शासकीय मेडिकल कालेज का मुख्य द्वार। ●नईदुनिया

कलेक्टोरेट सभाकक्ष में बैठक को संबोधित करते हुए कलेक्टर गोपालचंद्र डाड।

सरकारी अस्पतालों में सिविल सर्जन के प्रमाण पत्र पर लगेंगे रेमडेसिविर

रतलाम। कोरोना संक्रमण में उपचार को लेकर शासकीय अस्पतालों में रेमडेसिविर इंजेक्शन के उपयोग के लिए सिविल सर्जन की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी। सिविल सर्जन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सर्टिफिकेट जारी करने के बाद मरीज को इंजेक्शन लगाया जाएगा।

रतलाम में मास्क का वितरण करते हुए युवा। ●नईदुनिया

यह निर्देश शुक्रवार को कलेक्टर गोपालचंद्र डाड ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में निजी नर्सिंग होम व शासकीय अस्पताल के डाक्टरों की बैठक में दिए। बैठक में कलेक्टर डाड ने बताया कि रेमडेसिविर के सीमित उपयोग के लिए केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा निर्देश प्राप्त हुए हैं। निर्देशों के पालन में जिले में रेमडेसिविर औषधि का उपयोग केवल गंभीर लक्षण वाले सीमित प्रकरणों में ही किया जा सकता है। बैठक में रेमडेसिविर इंजेक्शन के उपयोग के लिए क्लिनिकल संकेतों की जानकारी दी गई। बैठक में सीएमएचओ डा. प्रभाकर ननावरे, सिविल सर्जन डा. आनंद चंदेलकर, डिप्टी कलेक्टर शिराली जैन, औषधि निरीक्षक सारिका अग्रवाल सम्मिलित रहे।

पाजिटिव को होम आइसोलेशन में 14 दिन रहना होगा

रतलाम। होम आइसोलेशन के बाद संक्रमित व्यक्ति और उनके स्वजन कंटेनमेंट से बाहर न आएं। यदि तय मानकों का उल्लंघन किया जाना पाया जाता है तो मरीज एवं उसके वयस्क देखभालकर्ता अथवा स्वजनों के विरुद्ध मप्र पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949, महामारी रोग अधिनियम 1984 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 51 के तहत पेनाल्टी एवं वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार–पत्रिका–पृष्ठ 5 दिनांक 17-4-2021

सीवर कार्य का निगम आयुक्त ने किया निरीक्षण

जयवरूड़ी इन्फ्राकॉन को नोटिस जारी

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com 17-4-2021

रतलाम. नगर निगम ने शहर में 13 अतिरिक्त स्थान पर सीवरेज कार्य शुरू करने को कहा है। इसकी मंजूरी देने के बाद भी सीवरेज कार्य करने वाली कंपनी ने अब तक काम शुरू नहीं किया है। इतना ही नहीं जहां पर कार्य चल रहा है या पूरा हो गया है वहां पर कई प्रकार की कमी पाई गई है। इसके बाद नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने जयवरूड़ी इन्फ्राकान कंपनी को नोटिस जारी किया है।

कलेक्टर व प्रशासक गोपालचन्द्र डाड द्वारा लॉकडाउन अवधि में 13 स्थानों पर सीवरेज का कार्य पूर्ण किए जाने की विशेष अनुमति दिए जाने के बाद भी कुछ स्थानों पर कार्य प्रारंभ नहीं किए जाने, अतिरिक्त मिट्टी हटाने, रोलिंग एवं वाटरिंग तथा रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण नहीं किए जाने पर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने जयवरूड़ी इन्फ्राकान प्रायवेट लिमिटेड कंपनी को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण चाहा है। निरीक्षण के दौरान कई प्रकार की कमी या अनियमितता पाई गई है। इसके बाद ही नोटिस देने का निर्णय लिया गया है।

यहां पाई गई कमी निरीक्षण के दौरान अवगत कराया गया कि हाट की चौकी चौराहा पर 200 एमएम डाया की 50 मीटर, आशीर्वाद नर्सिंग होम गली से हाट रोड पर पुलिस चौकी तक 200 एमएम डाया की 150 मीटर, भांभी मोहल्ले से गौशाला चौराहा तक 160 एमएम डाया की 50 मीटर, गेलड़ा नमकीन से चमारिया नाका तक 200 एमएम डाया की 700 मीटर, नागरिक विश्राम गृह से आरोग्य हॉस्पिटल तथा निगम तिराहे तक 160 एमएम डाया की 230 मीटर, सैलाना बस स्टैण्ड पर व्यास बेकरी से महाराणा प्रताप प्रतिमा तक दोनों तरफ 160 एमएम डाया की 150 मीटर, द्वारका रेसीडेंसी से राम मंदिर तिराहा तक तथा सनसिटी से अरिहंत कॉलेज तक (सैलाना रोड) 200 एमएम डाया की 2392 मीटर व सांवलिया बिल्डिंग मटेरियल टैंकर रोड से शनि मंदिर गली तक 160 एमएम डाया की 350 मीटर व पूर्व पार्षद सीमा टांक के घर से साक्षी पेट्रोल पम्प तक 200 एमएम डाया की 120 मीटर पाइप लाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है। इन स्थान पर समय समय पर मिट्टी को उठाना, रेस्टोरेशन कार्य आदि नहीं किया गया।

री

सीवरेज कार्य का निगम आयुक्त झारिया द्वारा निरीक्षण

र्ण किए जाने के दिए निर्देश

शाला रोड़ चौराहे पर भी रिस्टोरेशन कार्य किए
ए। निगम आयुक्त श्री झारिया ने हाट की चौकी
नगर की सीवरेज लाईन जोड़ने के कार्य का
निरीक्षण के दौरान अवगत कराया गया कि हाट
हा पर 200 एम.एम. डाया की 50 मीटर,

आशीर्वाद नर्सिंग होम गली से हाट रोड़ पर पुलिस चौकी तक 200 एम.एम. डाया की 150 मीटर, भांभी मोहल्ले से गौशाला चौराहा तक 160 एम.एम. डाया की 50 मीटर, गेलड़ा नमकीन से चमारिया नाका तक 200 एम.एम. डाया की 700 मीटर, नागरिक विश्राम गृह से आरोग्य हॉस्पिटल तथा निगम तिराहे तक 160 एम.एम. डाया की 230 मीटर, सैलाना बस स्टैण्ड पर व्यास बैकरी से महाराणा प्रताप प्रतिमा तक दोनो तरफ 160 एम.एम. डाया की 150 मीटर, द्वारका रेसीडेंसी से राम मंदिर तिराहा तक तथा सनसिटी से अरिहंत कॉलेज तक (सैलाना रोड) 200 एम.एम. डाया की 2392 मीटर व सांवलिया बिल्डिंग मटेरियल टैंकर रोड़ से शनि मंदिर गली तक 160 एम.एम. डाया की 350 मीटर व पूर्व पार्षद श्रीमती सीमा टांक के घर से साक्षी पेट्रोल पम्प तक 200 एम.एम. डाया की 120 मीटर पाईप लाईन बिछाने का कार्य किया जा रहा है।

नागरिकों के सहयोग से स्वच्छता में रतलाम नगर बनेगा नम्बर 1

इन्दौर समा 17-6-2021

रतलाम। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार रतलाम नगर के सभी 49 वार्डो को जीरो वेस्ट वार्ड बनाया जा चुका है जिसके तहत स्व सहायता समूह की रैग पिकर्स महिलाओं को शहर में ही रोजगार मिलने के साथ ही सूखे कचरे का निष्पादन भी किया जा रहा है इस कार्य में रतलाम नगर के नागरिक भी जागरूक हो चुके है नागरिकों के सहयोग से ही रतलाम नगर स्वच्छ सर्वेक्षण–2021 में नम्बर 1 बनेगा।

निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगर के सभी 49 वार्डो को जीरो वेस्ट वार्ड बनाये जाने से वार्डो की सड़कों, गलियों एवं नालियों में कचरे की मात्रा कम हुई है नागरिक भी प्रातः अपने घरो, दुकानों से निकलने वाले कचरे का स्वंय गीले एवं सूख्खे कचरे पृथक्कीकरण कर कचरा संग्रहण वाहन में डाला जा रहा है इस कार्य में रैग पिकर्स महिलाओं द्वारा भी पुरा सहयोग किया जा रहा है। निगम कचरा संग्रहण वाहन के सूखे कचरे को एक स्थान पर खाली किया जाकर रैग पिकर्स महिलाओं द्वारा पुस्टा, अखबार, लोहा, कपड़ा, शाल, कांच, पैकिंग मटेरियल, टूटे खिलौने, प्लास्टिक आदि को पृथक कर कबाड़ी को बेचा जा रहा है जिसका कबाड़ी द्वारा रजिस्टर भी संधारित किया जा रहा है।

वार्डो में कचरा संग्रहण वाहन के साथ दुर्गा व ईश्वर स्व सहायता समूह रैग पिकर्स महिला, आई.ई.सी. टीम के सदस्य, वार्ड पर्यवेक्षक, दरोगा, इंजीनियर आदि ने वार्ड के 100 प्रतिशत घरो पर जाकर

नगर के सभी 49 जीरो वेस्ट वार्डो में घर-घर से किया जा रहा है कचरा एकत्रीकरण

नागरिकों से गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक प्राप्त कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक वाहनों में डाला। संग्रहित किये गये सूखे कचरे को एक स्थान पर खाली कर समूह की महिलाओं द्वारा कचरे की छंटनी कर एकत्रित किया गया। नागरिकों से अपील जाती है कि वे अपने घरो एवं दुकानों से निकलने वाले गीले एवं सूखे कचरे को पृथक-पृथक कचरा पात्रों में एकत्रित कर अपने घर के बाहर रख दें निगम द्वारा उसे कचरा संग्रहण वाहन में पृथक-पृथक डाला जायेगा। निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया कि स्व सहायता समूहों की रैग पिकर्स महिलाएं अपना एवं अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिये अपने बच्चों के साथ जुलवानिया टेंचिंग ग्राउण्ड पर सूखे कचरे से प्लास्टिक, रबर, बॉटल व अन्य सामग्री अलग-अलग करके कबाड़ी को विक्रय कर नारकीय जीवन व्यतीत कर रही थी। जीरो वेस्ट वार्ड बनाने के तहत अब जुलवानिया की रैग पिकर्स महिलाओं को वार्डो में ही काम मिलने लगा है व इनकी सुरक्षा के लिये निगम द्वारा एप्रीन, ग्लवस, मास्क आदि उपलब्ध कराये गये है। इन्हे वार्ड में ही कार्य मिलने से इनके जीवन स्तर में सुधार होगा। गंदगी का मुख्य कारण है पॉलीथीन इसलिये 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन को पूर्णतः बंद किया जाना है इस हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने सभी वार्ड पर्यवेक्षक, दरोगा, स्पॉट फाईन दल यह निगरानी रखें कि इसका भण्डारण कहां होता है व विक्रय कौन कौन करता है सही जानकारी प्राप्त होने पर संबंधित की पॉलीथीन जप्त की जाकर फुटकर व्यवसायियों पर 50 व दुकानदारों पर 5000 का स्पॉट फाईन किया जाये।

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार– पत्रिका ---पृष्ठ 18....दिनांक 17-4......2021

प्रशासन के निर्देश पर आमजन उठा रहा सवाल

होम आइसोलेट पॉजिटिव के लिए तय कायदों का जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी ही नहीं कर रहे पालन

पत्रिका पड़ताल

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com 17-4-2021

रतलाम. कोविड-19 के तहत पॉजिटिव पाए जाने पर होम आइसोलेट किए गए व्यक्ति पूरी तरह क्वारंटाइन रहना अनिवार्य है। संक्रमित व्यक्ति और उनके परिजन कंटेनमेंट से बाहर नहीं आएंगे। यदि होम आइसोलेट व्यक्ति द्वारा तय मानकों का उल्लंघन किया जाना पाया जाता है तो रोगी एवं उसके वयस्क देखभालकर्ता और परिजनों के खिलाफ मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949, महामारी रोग अधिनियम 1984 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 51 के तहत पेनल्टी एवं वैधानिक कार्रवाई की जाएगी लेकिन प्रशासन के इस आदेश की जनप्रतिनिधि और खुद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ही धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं।

प्रशासन द्वारा जारी किए गए आदेश के तहत संक्रमित व्यक्ति जो होम आइसोलेशन में हैं वे नियमों का पालन करते हुए पॉजिटिव सैंपल आने के बाद 14 दिन तक होम क्वॉरंटीनग रहेंगे। इसके बाद दो नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद भी सात दिन तक होम आइसोलेशन में रहेंगे। संक्रमित व्यक्ति एवं उनके परिजन यदि होम आइसोलेशन से बाहर पाए जाते हैं तो उन पर दो हजार रुपए का जुर्माना और धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाएगा। यदि होम आइसोलेट व्यक्ति के उक्त अवधि समाप्त होने के उपरांत भी कंटेनमेंट समाप्त नहीं किया गया है तो वे इसकी जानकारी कंट्रोल रूम नंबर 1075 पर दे सकते हैं।

शहर के दो मामलों को लेकर चर्चा, नियमों की अनदेखी

केस - एक

▶ प्रशासन द्वारा जारी किए गए निर्देशों के बाद बाजार में चर्चा है कि पारस सकलेचा के परिवार में सदस्य की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद भी उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया और चार दिन पूर्व वह सैलाना के कांग्रेस विधायक हर्ष विजय गहलोत और आलोट विधायक मनोज चांवला के साथ मेडिकल कॉलेज की अव्यवस्थाओं को लेकर वहां गए थे।

केस - दो

▶ मेडिकल कॉलेज की डीन डॉ. शशि गांधी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी जिसके बाद वह होम आइसोलेट थी लेकिन इसके 12वें दिन बाद ही फिर से मेडिकल कॉलेज में पहुंची और कार्यभार संभाल लिया। जबकि प्रशासन ने जो गाइडलाइन जारी की है, उसके अनुसार 14 दिन तक अनिवार्य तौर पर पालन करना निर्धारित किया गया है।

कोरोना से निपटने में खर्च हो सकेगी विधायक निधि

विधायकों की अनुशंसा होगी जरूरी, योजना आर्थिक सांख्यिकी विभाग ने जारी किए निर्देश

रतलाम. कोरोना संक्रमण से निपटने के लिये अब विधायकों की सिफारिश पर निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना की राशि का उपयोग कोरोना वायरस से निपटने के लिए जरूरी चिकित्सकीय उपकरणों की खरीदी एवं अन्य चिकित्सकीय व्यवस्था करने में किया जा सकेगा।

इस संबंध में योजना आर्थिक सांख्यिकी विभाग ने कलेक्टर को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। निर्देशों के अनुसार डॉक्टरों और मेडिकल अमले की सहूलियत के लिए कलेक्टर अब इन्फ्रारे[...] थर्मामीटर, कोविड नियंत्रण में जु[...] मेडिकल अमले के लिए पीपीई किट[...] कोरोना टेस्टिंग किट, आईसी[...] वेंटीलेटर, आइसोलेशन य[...] कोरंटाइन वार्ड स्थापित करने, पै[...] मेडिकल अमले के लिए मास्क[...] दस्ताने और सेनीटाइजर और भार[...] सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वा[...] सुझाए गए अन्य मेडिकल उपकरण[...] या मशीन उपलब्ध कराने में खर्च[...] कर सकेंगे, जिस विधानसभा क्षेत्र [...] ऐसी व्यवस्थाएं करना जरूरी होग[...] वहां के संबंधित विधायकों क[...] अनुसंशा इसके लिए जरूरी होगी।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए व्यवस्था

यह व्यवस्था सिर्फ वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए की गई है। व्यय की अनुमति एक बार के लिए होगी। किसी भी परिस्थिति में कोई भी व्यय वर्ष 2022-23 के अंतर्गत नहीं किया जाएगा। राज्य शासन ने इस प्रकार की व्यवस्थाएं करने के लिए उपयोग में आने वाली राशि की शर्तें एवं मापदंड लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की अनुमति मदों के अनुसार होंगी। शर्तों के अनुसार स्वीकृत राशि और इसके खर्च करने एवं सामग्री खरीदने के बाद अभिलेख संधारण की जिम्मेदारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की होगी। राज्य शासन कोविड संक्रमण से निपटने के लिए सभी उपलब्ध वित्तीय एवं अधोसंरचनात्मक संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर रही है।

भंडारी मावा वाले पर भी धारा 188 का केस

रतलाम @ पत्रिका. लॉकडाउन के बीच दुकानें खोलकर व्यापार करने वाले बाज नहीं आ रहे हैं। चांदनीचौक स्थित भंडारी मावावाला ने भी बीते दिनों अपनी दुकान खोलकर व्यापार किया और कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लगाई गई धारा 144 का उल्लंघन किया। पुलिस ने दुकान संचालक के खिलाफ धारा 188 में केस दर्ज किया है। माणकचौक पुलिस ने बताया यह प्रकरण नायब तहसीलदार नवीन गर्ग के प्रतिवेदन पर दर्ज किया गया है। मावा दुकान संचालक बबलू पिता ज्ञानचंद भंडारी 31 ने 15 अप्रैल को दोपहर में अपनी दुकान खुली रखी और ग्राहकों से व्यापार करते पाया गया। ऐसा करके उसने कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन किया है। पुलिस ने बबलू के खिलाफ धारा 188 का केस दर्ज किया है।

संकलन--नगर निगम, रतलाम अखबार नई दुनिया --पृष्ठ 2 ...दिनांक 17-6-2021

मास्क लगाकर व सैनिटाइजर का उपयोग कर सुरक्षित रहें

नगर निगम कर्मचारियों को निर्देश देते हुए आयुक्त सोमनाथ झारिया। •नईदुनिया 17-6-2021

रतलाम। शहर में बढ़ते लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों के मद्देनजर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने निगम सफाई कर्मचारियों में खासकर डोर टू डोर कलेक्शन करने वाले कर्मचारियों को मास्क लगाने व सैनिटाइजर का उपयोग करने की हिदायत दी। आयुक्त ने सुबह निगम के फायर स्टेशन भवन पर सभी कर्मचारियों को मास्क लगाने, सैनिटाइजर का उपयोग करने तथा वाहनों में चढ़ने व उतरने के बाद में गाड़ी को भी सैनिटाइज करके ही रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कर्मशाला विभाग के ड्रायवर, हेल्परों को सैनिटाइजर, मास्क और ट्रिपल लेयर मास्क दिए जाएंगे। वर्तमान जितनी संख्या में मास्क व सैनिटाइजर है, वे प्राप्त कर ले। शेष को शनिवार को उपलब्ध कराए जाएंगे। नियमित गाड़ी में बैठने से पहले और गाड़ी से उतरने के बाद गाड़ी को भी सैनिटाइज करना है। साथ ही अपनी और अपने साथियों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। उन्होंने कहा कि किसी भी आपदा की परिस्थिति में निगम के कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कर्मचारी इस महामारी में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतें। उपायुक्त विकास सोलंकी, जलप्रदाय विभाग प्रभारी सत्यप्रकाश आचार्य, एमके जैन, स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह, निगम सचिव जसवंत जोशी, कार्यालय अधीक्षक रामचंद्र शर्मा, बीएल चावरे, उपयंत्री सुहास पंडित, सिद्धार्थ सोनी, ब्रजेश कुशवाह, अनिता ठाकुर, दीक्षा निजामपुरकर, जोन प्रभारी पर्वत हाड़े, किरण चौहान, सिटी मैनेजर कपिल मारोठिया, नितिन तिवारी, उद्यान निरीक्षक अनिल पारा, उप स्वच्छता पर्यवेक्षक, दरोगा, सफाई संरक्षक, कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हेल्पर आदि उपस्थित थे।

रेमडेसिविर इंजेक्शन प्रदेश को प्राप्त हो गए है। अब पारदर्शिता की आवश्यकता है। जिन मरीजों को दिए जाए, उनके नाम सार्वजनिक किए जाए। प्रायवेट अस्पतालों पर भी प्रतिबंध लगाया जाए। उनके द्वारा लिए जाने वाला शुल्क भी तय किया जाए। प्रायवेट अस्पतालों में खूब लूट हो रही है।
-मांगीलाल पंडित, प्रदेश महामंत्री, वरिष्ठ नागरिक परिसंघ

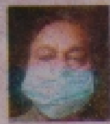

कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। हर दिन बड़ी संख्या में संक्रमित आ रहे है। जरूरी होने पर घर से बाहर निकलते वक्त मास्क पहनें और शारीरिक दूरी का पालन करें। सैनिटाइजर का उपयोग करें और दूसरों को भी कोविड-19 नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करें। - **गोपाल सेठिया, सेवानिवृत्त बीएसएनएल अधिकारी, जावरा**

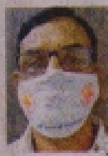

कोरोना बहुत तेजी से पैर पसार रहा है। हमें जिम्मेदार नागरिक बनकर अपना और प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। कोरोना से बचने के लिए भीड़भाड़ से दूर रहकर मास्क पहनने व दो गज की दूरी का पालन अवश्य करना होगा।
- प्रदीप सेठिया, अध्यक्ष, भारतीय जैन संगठना, जावरा

कोरोना से बचाव के लिए हमें गाइड-लाइन का पालन करते हुए सहज और सतर्क रहना होगा। मैं और मेरी संस्था के सदस्य यथासंभव जरूरतमंदों को मेडिसिन उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रहे है।
मैंने स्वयं भी इस महामारी को करीब से देखा है। यह एक खतरनाक बीमारी है। इससे सबको सतर्क रहना है।
- वरुण श्रोत्रिय, एडवोकेट और संस्थापक संस्था इंसानियत, जावरा जिला रतलाम

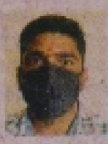

बहुत से लोग कोरोना को अभी भी मजाक में ले रहे हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि मास्क लगाकर खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। दो गज की दूरी का पालन करना भी जरूरी है।
-राजा चंचलानी, समाजसेवी, जावरा

मास्क हमारी सुरक्षा के लिए जरूरी है। हम लोगों को अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। **-चैतना कश्यप**

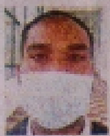

वर्तमान समय में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। संक्रमण से बचाव हेतु बिना मास्क लगाएं। बहुत ही आवश्यक कार्य के बिना घर से बाहर नहीं निकले। दो गज दूरी का अवश्य पालन करें। अपने आसपास व पड़ोसियों को भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें।
-गोपालसिंह राठौर, सचिव, ग्राम पंचायत आक्या बैनी (जावरा)

दो गज की दूरी के साथ मास्क भी जरूरी है। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आमजन से अपील है कि सभी लोग मास्क पहने वह दूसरों को भी पहनने की सलाह दें। वर्तमान में जागरूकता ही बचाव का सशक्त माध्यम है।
-शेरू पटेल, फल व्यापारी, जावरा

कोरोना से सुरक्षित रहने के लिए मास्क लगाना बहुत जरूरी है। वर्तमान में कोरोना का खतरनाक रूप दिखाने को मिल रहा है। दो गज की दूरी का पालन कर हम स्वयं के साथ दूसरों को भी इस महामारी से बचा सकते है।
-राहुल शर्मा, व्यायाम निर्देशक, शासकीय उमावि शेरपुर

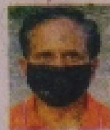

कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रत्येक नागरिक को मास्क पहनने और शारीरिक दूरी का पालन करने में बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। छोटी-सी लापरवाही कई लोगों को मुसीबत में डाल सकती है। यह दौर सतर्कता और सावधानी बरतने का है। - **केएल भाटी, विकासखंड शिक्षा केंद्र पिपलौदा**

प्रतिदिन सैनेटाइजर का कर रहे छिड़काव

कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए हो रहा सैनेटाइजेशन

पत्रिका 17-4-21

रतलाम. शहर के नागरिकों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए शहर में नगर निगम सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक छिड़काव कार्य करवा रही है। निगम के अनुसार प्रतिदिन करीब एक लाख लीटर सैनिटाईजर का छिड़काव किया जा रहा है। सैनेटाईजर के छिड़काव के लिए समीक्षा प्रतिदिन कलेक्टर गोपालचंद्र डाड व आयुक्त सोमनाथ झारिया कर रहे हैं। आयुक्त ने बताया कि सोडियम हाईपोक्लोराईड से सेनेटराईज किया जा रहा है साथ ही माईक्रो कन्टेनमेंट क्षेत्रों में भी हैण्ड मशीन से सेनेटाईजेशन किया जा रहा है।

नगर निगम द्वारा प्रतिदिन फायर लॉरी व ट्रैक्टर ट्रॉली से नगर के विभिन्न क्षेत्रों की सड़कों, गलियों, भवन आदि को प्रतिशत सोडियम हाईपोक्लोराईड मिलाकर 1 लाख लीटर से सेनेटराईज किया जा रहा है। सूरज हॉल, वेदव्यास कालोनी, काटजू नगर सहित नगर के विभिन्न क्षेत्रों में सेनेटाईजेशन किया गया। इसके अलावा 14 व्यक्तियों की टीम द्वारा हैण्ड मशीन के माध्यम से मेडिकल कॉलेज, माईक्रो कन्टेनमेंट क्षेत्र, कलेक्टोरेट, गांधी नगर टीआईटी बिल्डिंग, अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल, ई-दक्ष कार्यालय, नगर निगम कार्यालय सहित शासकीय कार्यालयो आदि में सेनेटराईजेशन का कार्य किया गया। नगर के सैनेटराईज किये जाने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में सफाई का कार्य किया जा रहा है व सफाई उपरान्त सफाई स्थल व नालियों में कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जा रहा है।

कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु प्रतिदिन किया जा रहा है सेनेटाईजेशन का कार्य

प्रसारण न्यूज * रतलाम

17-4-2021

रतलाम नगर के नागरिकों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने हेतु जिला कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम गोपालचन्द डाड के निर्देशानुसार निगम के विभिन्न वाहनों के माध्यम से सोडियम हाईपोक्लोराईड से सेनेटराईज किया जा रहा है, साथ ही माईक्रो कन्टेनमेंट क्षेत्रों में भी हैण्ड मशीन से सेनेटाईजेशन किया जा रहा है।

नगर निगम द्वारा प्रतिदिन फायर लॉरी व ट्रेक्टर ट्रॉली से नगर के विभिन्न क्षेत्रों की सड़कों, गलियों, भवन आदि को 1 प्रतिशत सोडियम हाईपोक्लोराईड मिलाकर 1 लाख लीटर से सेनेटराईज किया जा रहा है। 15 अप्रैल गुरूवार को सूरज हॉल, वेदव्यास कॉलोनी, काटजू नगर सहित नगर के विभिन्न क्षेत्रों में सेनेटाईजेशन किया गया। इसके अलावा 14 व्यक्तियों की टीम द्वारा हैण्ड मशीन के माध्यम से मेडिकल कॉलेज, माईक्रो कन्टेनमेंट क्षेत्र, कलेक्टोरेट, गांधी नगर टी आई टी बिल्डिंग, अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल, ई-दक्ष कार्यालय, नगर निगम कार्यालय सहित शासकीय कार्यालयो आदि में सेनेटराईजेशन का कार्य किया गया।

नगर के सेनेटराईज किए जाने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में सफाई का कार्य किया जा रहा है व सफाई उपरान्त सफाई स्थल व नालियों में कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जा रहा है।

प्रसारण 17-4-2021

5 के स्थान पर 4 कचरा ट्रांसफर स्टेशन होंगे

प्रसारण न्यूज • रतलाम

निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर के 5 कचरा ट्रांसफर स्टेशन अमृत सागर, विरियाखेड़ी, ईश्वर नगर, विनोबा नगर व पोलोग्राउण्ड में से विनोबा नगर के कचरा ट्रांसफर स्टेशन को स्थायी रूप से बंद किया गया है। अब विनोबा नगर आने वाला कचरा पोलो ग्राउण्ड कचरा ट्रांसफर स्टेशन पर ले जाएगा।

निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने स्वास्थ्य अधिकारी, झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा, सफाई संरक्षक, कचरा संग्रहण वाहन चालक व हैल्परों को निर्देशित किया कि विनोबा नगर में अब किसी भी प्रकार का कचरा खाली नहीं किया जाएगा, यहां आने वाला कचरा पोलोग्राउण्ड कचरा ट्रांसफर स्टेशन पर ले जाया जाएगा, जहां सूखा कचरा ग्रीन नेट के अन्दर खाली कर गीला कचरा काम्पेक्टर में लोड किया जाकर जुलवानिया प्रतिदिन भेजा जाएगा।

विनोबा नगर के कचरा ट्रांसफर स्टेशन को किया बंद

रतलाम • निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर के 5 कचरा ट्रांसफर स्टेशन अमृत सागर, विरियाखेड़ी, ईश्वर नगर, विनोबा नगर व पोलोग्राउण्ड में से विनोबा नगर के कचरा ट्रांसफर स्टेशन को स्थायी रूप से बंद किया गया है अब विनोबा नगर आने वाला कचरा पोलोग्राउण्ड कचरा ट्रांसफर स्टेशन पर ले जाएगा। श्री झारिया ने स्वास्थ्य अधिकारी, झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा, सफाई संरक्षक, कचरा संग्रहण वाहन चालक व हैल्परों को निर्देशित किया कि विनोबा नगर में अब किसी भी प्रकार का कचरा खाली नहीं किया जाएगा यहां आने वाला कचरा पोलोग्राउण्ड कचरा ट्रांसफर स्टेशन पर ले जाया जाएगा जहां सूखा कचरा ग्रीन नेट के अन्दर खाली कर गीला कचरा काम्पेक्टर में लोड किया जाकर जुलवानिया प्रतिदिन भेजा जाएगा।

विनोबा नगर के कचरा ट्रांसफर स्टेशन को किया बंद

रतलाम। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर के 5 कचरा ट्रांसफर स्टेशन अमृत सागर, विरियाखेड़ी, ईश्वर नगर, विनोबा नगर व पोलोग्राउण्ड में से विनोबा नगर के कचरा ट्रांसफर स्टेशन को स्थाई रूप से बंद किया गया है। अब विनोबा नगर आने वाला कचरा पोलोग्राउण्ड कचरा ट्रांसफर स्टेशन पर ले जाएगा। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने स्वास्थ्य अधिकारी, जोन प्रभारी, कचरा संग्रहण वाहन चालक व हेल्परों को निर्देशित किया कि विनोबा नगर में अब किसी भी प्रकार का कचरा खाली नहीं किया जाएगा। यहा आने वाला कचरा पोलोग्राउण्ड कचरा ट्रांसफर स्टेशन पर ले जाया जाएगा।

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार इन्दौर समाचार पृष्ठ 11 दिनांक 17-4-2021

जयवरूड़ी इन्फ्राकॉन को नोटिस जारी

इन्दौर समाचार 17-4-2021

रतलाम। कलेक्टर एवं प्रशासक गोपालचन्द्र डाड के निर्देशानुसार 13 स्थानों पर सीवरेज कार्य 19 अप्रैल तक पूर्ण किये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने सीवरेज कार्य स्थलों का निरीक्षण कम्पनी के इंजीनियरों के साथ कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये। कलेक्टर एवं प्रशासक गोपालचन्द्र डाड द्वारा लॉकडाउन अवधि में 13 स्थानों पर सीवरेज का कार्य पूर्ण किये जाने की विशेष अनुमति दिये जाने के पश्चात भी कुछ स्थानों पर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने, अतिरिक्त मिट्टी हटाने, रोलिंग एवं वाटरिंग तथा रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण नहीं किये जाने पर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने जयवरूड़ी इन्फ्राकॉन प्रायवेट लिमिटेड को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण चाहा है।

निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने स्थलों का निरीक्षण करते हुए सर्वप्रथम साक्षी पेट्रोल पम्प से नया गांव राधा-कृष्ण मंदिर तक प्रारंभ किये सीवरेज कार्य का-निरीक्षण सहायक यंत्री श्याम सोनी व पूर्व पार्षद श्रीमती सीमा टांक के साथ कर कम्पनी के इंजीनियर को कार्य तेजी से किये जाने के निर्देश दिये ताकि नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो इसके अलावा खुदाई कार्य के दौरान पेयजल पाईप लाईन, नल कनेक्शन व दूरसंचार की केबल क्षतिग्रस्त ना हो इसका विशेष ध्यान रखे जाने हेतु भी निर्देशित किया। इसके पश्चात निगम आयुक्त श्री झारिया ने सैलाना बस स्टैण्ड पर व्यास बैकरी से महाराणा प्रताप प्रतिमा तक दोनो तरफ 160 एम.एम. डाया की 150 मीटर कार्य का निरीक्षण करने पर अवगत कराया गया कि पाईप लाईन डालने का कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके

सीवरेज कार्य का निगम आयुक्त झारिया द्वारा निरीक्षण

पश्चात निगम आयुक्त श्री झारिया ने गेलड़ा नमकीन से चमारिया नाका तक 200 एम.एम. डाया की 700 मीटर बिछाई जा रही सीवरेज लाईन कार्य का निरीक्षण किया। जिसमें गेलड़ा नमकीन से बांस बाजार तक लाईन बिछाने का कार्य पूर्ण पाये जाने पर कम्पनी के इंजीनियरों के साथ चमारिया नाका तक का निरीक्षण कर निर्देशित किया कि वे इस कार्य को भी तेजी से कर 19 अप्रैल तक कार्य पूर्ण करें इस दौरान उन्होंने फुलमण्डी के पास चल रहे सीवरेज कार्य का भी निरीक्षण किया। तोपखाना से चांदनी चौक तक चल रहे समतलीकरण कार्य के निरीक्षण के दौरान निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि रिस्टोरेशन कार्य में तेजी लाये जाने के निर्देश संबंधित को दिये। इसी तरह गौशाला रोड चौराहे पर भी रिस्टोरेशन कार्य किये जाने के निर्देश दिये। निगम आयुक्त श्री झारिया ने हाट की चौकी चौराहा से सुभाष नगर की सीवरेज लाईन जोड़ने के कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अवगत कराया गया कि हाट की चौकी चौराहा पर 200 एम.एम. डाया की 50 मीटर, आशीर्वाद नर्सिंग होम गली से हाट रोड पर पुलिस चौकी तक 200 एम.एम. डाया की 150 मीटर, भाभी मोहल्ले से गौशाला चौराहा तक 160 एम.एम. डाया की 50 मीटर, गेलड़ा नमकीन से चमारिया नाका तक 200 एम.एम. डाया की 700 मीटर, नागरिक विश्राम गृह से आरोग्य हॉस्पिटल तथा निगम तिराहे तक 160 एम.एम. डाया की 230 मीटर, सैलाना बस स्टैण्ड पर व्यास बैकरी से महाराणा प्रताप प्रतिमा तक दोनो तरफ 160 एम.एम. डाया की 150 मीटर, द्वारका रेसीडेंसी से राम मंदिर तिराहा तक तथा सनसिटी से अरिहंत कॉलेज तक (सैलाना रोड) 200 एम.एम. डाया की 2392 मीटर व सांवलिया बिल्डिंग मटेरियल टैंकर रोड से शनि मंदिर गली तक 160 एम.एम. डाया की 350 मीटर व पूर्व पार्षद श्रीमती सीमा टांक के घर से साक्षी पेट्रोल पम्प तक 200 एम.एम. डाया की 120 मीटर पाईप लाईन बिछाने का कार्य किया जा रहा है।

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार दै. भास्कर ---पृष्ठ 19...दिनांक 17-5...2021

सावधानी जरूरी • याद रखें... ये वक्त भी गुजर जाएगा, कोरोना के शुरुआती लक्षण मिलते ही जांच कराएं

मुस्कुराइए.. पहली बार 194 मरीज घर रवाना, 70% लोगों की रिपोर्ट निगेटिव

- मेडिकल कॉलेज में 24 घंटे सेवा में जुटे जांबाज
- 600 से ज्यादा होम आइसोलेशन में

भास्कर संवाददाता | रतलाम

17-5-2021

मौत की भयावह तस्वीर... कोरोना के डरावने आंकड़ों से परे आज हमें आपको हमारे शहरवासियों के मजबूत हौसले के बारे में बता रहे हैं। बीते 16 दिन में 1499 मरीज कोरोना को हरा चुके हैं। ऐसा पहली बार हुआ है, जब इतने कम दिनों में इतनी बड़ी संख्या में मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, 11 हजार लोगों की रिपोर्ट निगेटिव भी मिली है, जो कुल सैंपल का 70% है। रिपोर्ट निगेटिव मिलना बड़ी बात नहीं है... लेकिन, यह लोग कोरोना का सैंपल देने से नहीं कतराएं, जो बड़ी जागरुकता का संकेत है। इन्हीं के बलबूते अब हमारे शहर की जीत की उम्मीद भी बढ़ी है।

आपने सुना होगा... ये वक्त भी गुजर जाएगा...। अब इसी बात पर अमल करके घरों में ही सुरक्षित रहना होगा। हमारे शहर में डर से ज्यादा जीत का हौसला है जो आने वाले अच्छे दिन के संकेत दे रहा है। अभी 1 हजार से ज्यादा एक्टिव केस हैं, इनमें से 600 से ज्यादा लोग होम आइसोलेशन में ही हैं। सामान्य गोली-दवाइयों से ठीक हो रहे हैं। वहीं, फीवर क्लिनिक में पहुंचने वाले ऐसे लोगों की संख्या भी कम नहीं है, जो शुरुआती लक्षण में ही जांच करवा रहे हैं। 16 दिन में 14 हजार से ज्यादा लोग कोरोना की जांच करवा चुके हैं।

भास्कर लाइव : मेडिकल कॉलेज परिसर की दो तस्वीरें... रोज 200 से इंक्वायरी, सेवा देने के लिए आगे आ रहे

1. भोजन के साथ सुरक्षा भी, परिजन डस्टबिन में फेंकते हैं प्लेट, सेवा के लिए भी आ रहे

समय - सुबह 11.25 बजे **राहत : फ्री भोजन की शुरुआत**

मेडिकल कॉलेज में प्रवेश करते ही नजारा दिखेगा। कॉलेज में सिर्फ रतलाम ही नहीं वरन मंदसौर, नीमच, धार, उज्जैन, झाबुआ जिले के लोग इलाज के लिए आ रहे हैं। मरीज के भोजन का इंतजाम तो कॉलेज में हो जाता है लेकिन अन्य जिलों से आने वाले मरीजों के परिजन के लिए दूसरा इंतजाम नहीं होने से उन्हें परेशान होना पड़ रहा था। कॉलेज शहर से दूर है, आसपास दूसरी व्यवस्था नहीं होने से परिजन भी परेशान थे। ऐसे में कुछ लोगों ने परिजन को फ्री भोजन देना शुरू किया। रोज करीब 125 लोग यहां भोजन कर रहे हैं। मरीज के परिजन भी सेवा देने के लिए आ रहे हैं।

2. सहायता केंद्र में लोग परिजन की मेडिकल कंडीशन के बारे में जान रहे

समय - सुबह 11. 45 बजे **राहत : मेडिकल इंक्वायरी शुरू की**

मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के बाहर सहायता केंद्र बना है। यहां संघ से जुड़े लोग अपनी सेवा दे रहे हैं। यहां मौजूद शुभम चौहान ने बताया उनका मकसद है कि परिजन परेशान ना हों। परिजन परेशान होंगे तो विवाद की स्थिति बनेगी। उनके पास सबसे ज्यादा पूछताछ मेडिकल इंक्वायरी के लिए आ रही है। रोज करीब 200 लोग आ जाते हैं। वे लिस्ट बनाकर डॉक्टर को देते हैं, डॉक्टर मरीज की स्थिति लिख देते हैं। इसे परिजन को बता देते हैं। फ्री फल देने की व्यवस्था भी इस काउंटर से जारी है।

देर रात कॉलेज में पहुंची लिक्विड ऑक्सीजन, 450 अतिरिक्त सिलेंडरों का भी इंतजाम- मेडिकल कॉलेज में अभी सबसे बड़ी चिंता ऑक्सीजन की पूर्ती होना है। कॉलेज में गुरुवार देर रात लिक्विड ऑक्सीजन का टैंकर पहुंचा, इससे 48 घंटे तक पूर्ति हो सकेगी। इधर, शहर विधायक चेतन्य काश्यप ने निंबाहेड़ा से 450 सिलेंडर ऑक्सीजन की व्यवस्था करवाई है। इसमें से निजी अस्पतालों को भी सिलेंडर दिए जा रहे हैं।

मौत के बाद मरीज के परिजन हुए आक्रोशित- मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार को एक मरीज की मौत के बाद परिजन आक्रोशित हो गए। परिजन का कहना था कि मरीज का ध्यान नहीं रखा गया। परिजन ने कॉलेज में कैमरे लगवाने की भी मांग की है, ताकि, स्थिति के बारे में बता चल सके। मरीज की पोती ने स्टाफ पर ध्यान नहीं रखने के आरोप लगाए हैं।

समय रहते जांच करवा लें तो बीमारी को हरा सकते हैं- यदि समय रहते जांच करवा लेंगे, तो आप सामान्य होंगे। घर पर रहकर ही बीमारी को हरा सकते हैं। कॉलेज में बहुत ज्यादा संख्या में मरीज ठीक होकर जा रहे हैं।
डॉ. शशि गांधी, डीन, मेडिकल कॉलेज

बिजली कर्मचारियों में डर क्योंकि भोपाल में 200 पॉजिटिव मिले

भोपाल में 200 बिजली कर्मचारी पॉजिटिव आए हैं। इससे शहर के बिजली कर्मचारियों में भी डर है। मप्र पश्चिम क्षेत्र बिजली कर्मचारी महासंघ के संरक्षक एवं भारतीय मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा, लोकेश कटारिया एवं प्रांतीय सचिव मोहनलाल जादव ने बताया बिजली कर्मचारियों को फ्रंट लाइन वर्कर मानकर तुरंत वैक्सीन लगाई जाए। इसके लिए उन्होंने सीएम को पत्र भी लिखा है।

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार– दै. भास्कर –पृष्ठ 8 दिनांक 17-4-2021

अखिलेश सेवा से बर्खास्त, गंदगी फैलाने पर जुर्माना

रतलाम। वरिष्ठ अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश की अवहेलना करने और कार्य में लापरवाही बरतने पर आयुक्त सोमनाथ झारिया ने नगर निगम के प्रकाश विभाग में कार्यरत स्थायी कर्मी अखिलेश निमावत को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। उधर शुक्रवार को कचरा डाल गंदगी फैलाने वाले चार व्यक्तियों पर जुर्माना किया। इनमें मोहम्मद रफीक घास बाजार पर 500 रुपए, हरमाला रोड के सुरेश 500 रुपए, वहीद पर 250 रुपए, बाबू पर 100 रुपए का जुर्माना किया।

अखिलेश निमावत सेवा से बर्खास्त

रतलाम। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने निगम के प्रकाश विभाग में कार्यरत स्थायीकर्मी अखिलेश निमावत द्वारा वरिष्ठ अधिकारी द्वारा दिए गए आदेशों की अवहेलना करने, कार्य में लापरवाही, उदासीनता बरतने, अनुशासनहीनता करने पर सेवा से बर्खास्त किया।

नई दुनिया
17-4-2021

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार इन्दौर समाचार---पृष्ठ 17...दिनांक 17-4.....2021

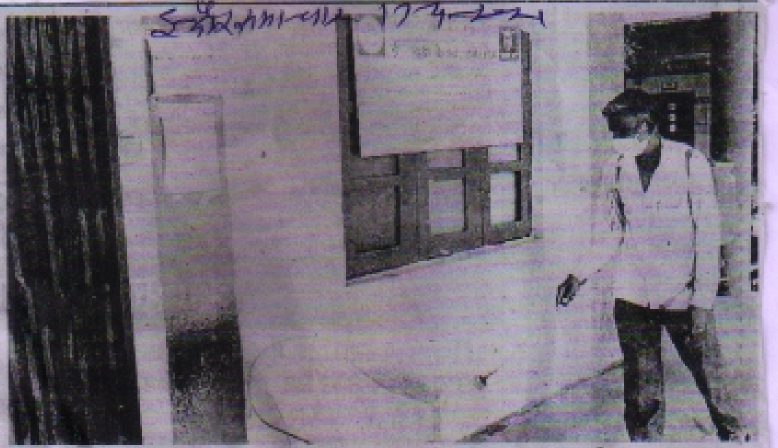

कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु प्रतिदिन किया जा रहा है सेनेटाईजेशन का कार्य

रतलाम। रतलाम नगर के नागरिकों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने हेतु जिला कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम गोपालचन्द्र डाड के निर्देशानुसार निगम के विभिन्न वाहनों के माध्यम से सोडियम हाईपोक्लोराईड से सेनेटराईज किया जा रहा है साथ ही माईक्रो कन्टेनमेंट क्षेत्रों में भी हैण्ड मशीन से सेनेटाईजेशन किया जा रहा है।

नगर निगम द्वारा प्रतिदिन फायर लॉरी व ट्रेक्टर ट्रॉली से नगर के विभिन्न क्षेत्रों की सड़कों, गलियों, भवन आदि को 1 प्रतिशत सोडियम हाईपोक्लोराईड मिलाकर 1 लाख लीटर से सेनेटराईज किया जा रहा है। 15 अप्रैल गुरूवार को सूरज हॉल, वेदव्यास कालोनी, काटजू नगर सहित नगर के विभिन्न क्षेत्रों में सेनेटाईजेशन किया गया। इसके अलावा 14 व्यक्तियों की टीम द्वारा हैण्ड मशीन के माध्यम से मेडिकल कॉलेज, माईक्रो कन्टेनमेंट क्षेत्र, कलेक्टोरेट, गांधी नगर डीआईटी बिल्डिंग, अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल, ई-दक्ष कार्यालय, नगर निगम कार्यालय सहित शासकीय कार्यालयो आदि में सेनेटराईजेशन का कार्य किया गया। नगर के सेनेटराईज किये जाने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में सफाई का कार्य किया जा रहा है व सफाई उपरान्त सफाई स्थल व नालियों में कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जा रहा है।

नागरिकों के सहयोग से स्वच्छता में रतलाम नगर बनेगा नम्बर 1

नगर के सभी 49 जीरो वेस्ट वार्डों में घर-घर से किया जा रहा है कचरा एकत्रीकरण

प्रसारण न्यूज * रतलाम

17-4-2021

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार रतलाम नगर के सभी 49 वार्डों को जीरो वेस्ट वार्ड बनाया जा चुका है, जिसके तहत स्व सहायता समूह की रैग पिकर्स महिलाओं को शहर में ही रोजगार मिलने के साथ ही सूखे कचरे का निष्पादन भी किया जा रहा है, इस कार्य में रतलाम नगर के नागरिक भी जागरूक हो चुके है। नागरिकों के सहयोग से ही रतलाम नगर स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में नम्बर 1 बनेगा।

निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगर के सभी 49 वार्डों को जीरो वेस्ट वार्ड बनाए जाने से वार्डों की सड़कों, गलियों एवं नालियों में कचरे की मात्रा कम हुई है, नागरिक भी प्रातः अपने घरों, दुकानों से निकलने वाले कचरे का स्वयं गीले एवं सुखे कचरे पृथक्कीकरण कर कचरा संग्रहण वाहन में डाला जा रहा है, इस कार्य में रैग पिकर्स महिलाओं द्वारा भी पुरा सहयोग किया जा रहा है। निगम कचरा संग्रहण वाहन के सूखे कचरे को एक स्थान पर खाली किया जाकर रैग पिकर्स महिलाओं द्वारा पुस्ठा, अखबार, लोहा, कपड़ा, शाल, कांच, पैकिंग मटेरियल, टुटे खिलौने, प्लास्टिक आदि को पृथक कर कबाड़ी को बेचा जा रहा है जिसका कबाड़ी द्वारा रजिस्टर भी संधारित किया जा रहा है।

वार्डों में कचरा संग्रहण वाहन के साथ दुर्गा व ईश्वर स्व सहायता समूह रैग पिकर्स महिला, आई.ई.सी. टीम के सदस्य, वार्ड पर्यवेक्षक, दरोगा, इंजीनियर आदि ने वार्ड के 100 प्रतिशत घरों पर जाकर नागरिकों से गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक प्राप्त कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक वाहनों में डाला। संग्रहित किए गए सूखे कचरे को एक स्थान पर खाली कर समूह की महिलाओं द्वारा कचरे की छंटनी कर एकत्रित किया गया। नागरिकों से अपील जाती है कि वे अपने घरों एवं दुकानों से निकलने वाले गीले एवं सूखे कचरे को पृथक-पृथक कचरा पात्रों में एकत्रित कर अपने घर के बाहर रख दें, निगम द्वारा उसे कचरा संग्रहण वाहन में पृथक-पृथक डाला जागा।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया कि स्व सहायता समूहों की रैग पिकर्स महिलाएं अपना एवं अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिए अपने बच्चों के साथ जुलवानिया ट्रेंचिंग ग्राउण्ड पर सूखे कचरे से प्लास्टिक, रबर, बॉटल व अन्य सामग्री अलग-अलग करके कबाड़ी को विक्रय कर नारकीय जीवन व्यतीत कर रही थी। जीरो वेस्ट वार्ड बनाने के तहत अब जुलवानिया की रैग पिकर्स महिलाओं को वार्डों में ही काम मिलने लगा है व इनकी सुरक्षा के लिए निगम द्वारा एप्रीन, ग्लव्स, मास्क आदि उपलब्ध कराए गए है। इन्हें वार्ड में ही कार्य मिलने से इनके जीवन स्तर में सुधार होगा। गंदगी का मुख्य कारण है पॉलीथीन इसलिए 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन को पूर्णतः बंद किया जाना है, इस हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने सभी वार्ड पर्यवेक्षक, दरोगा, स्पॉट फाईन दल यह निगरानी रखें कि इसका भण्डारण कहां होता है व विक्रय कौन कौन करता है, सही जानकारी प्राप्त होने पर संबंधित की पॉलीथीन जब्त की जाकर फुटकर व्यवसायियों पर 50 व दुकानदारों पर 5000 का स्पॉट फाईन किया जाए।

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार प्रसारण --पृष्ठ 12 दिनांक 17-4 2021

जयवरूड़ी इन्फ्राकॉन को नोटिस ज

रहवासी क्षेत्रों में 19 अप्रैल तक कार्य पू

प्रसारण न्यूज़ * रतलाम

17-4-2021

कलेक्टर एवं प्रशासक गोपालचन्द्र डाड के निर्देशानुसार 13 स्थानों पर सीवरेज कार्य 19 अप्रैल तक पूर्ण किए जाने हेतु निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने सीवरेज कार्य स्थलों का निरीक्षण कम्पनी के इंजीनियरों के साथ कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर एवं प्रशासक गोपालचन्द्र डाड द्वारा लॉक डाउन अवधि में 13 स्थानों पर सीवरेज का कार्य पूर्ण किए जाने की विशेष अनुमति दिए जाने के पश्चात भी कुछ स्थानों पर कार्य प्रारंभ नहीं किए जाने, अतिरिक्त मिट्टी हटाने, रोलिंग एवं वाटरिंग तथा रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण नहीं किए जाने पर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने जयवरूड़ी इन्फ्राकॉन प्रायवेट लिमिटेड को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण चाहा है।

निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने स्थलों का निरीक्षण करते हुए सर्वप्रथम साक्षी पेट्रोल पम्प से नया गांव राधा-कृष्ण मंदिर तक प्रारंभ किए सीवरेज कार्य का निरीक्षण सहायक यंत्री श्याम सोनी व पूर्व पार्षद श्रीमती सीमा टांक के साथ कर कम्पनी के इंजीनियर को कार्य तेजी से किए जाने के निर्देश दिए, ताकि नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके अलावा खुदाई कार्य के दौरान पेयजल पाईप लाईन, नल कनेक्शन व दूरसंचार की केबल क्षतिग्रस्त ना हो, इसका विशेष ध्यान रखे जाने हेतु भी निर्देशित किया। इसके पश्चात निगम आयुक्त श्री झारिया ने सैलाना बस स्टैण्ड पर व्यास बैकरी से महाराणा प्रताप प्रतिमा तक दोनों तरफ 160 एम.एम. डाया की 150 मीटर कार्य का निरीक्षण करने पर अवगत कराया गया कि पाईप लाईन डालने का कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके पश्चात निगम आयुक्त श्री झारिया ने गेलड़ा नमकीन से चमारिया नाका तक 200 एम.एम. डाया की 700 मीटर बिछाई जा रही सीवरेज लाईन कार्य का निरीक्षण किया, जिसमें गेलड़ा नमकीन से घांस बाजार तक लाईन बिछने का कार्य पूर्ण पाए जाने पर कम्पनी के इंजीनियरों के साथ चमारिया नाका तक का निरीक्षण कर निर्देशित किया कि वे इस कार्य को भी तेजी से कर

19 अप्रैल तक कार्य पूर्ण करें। इस दौरान उन्होंने फूलमण्डी के पास चल रहे सीवरेज कार्य का भी निरीक्षण किया। तोपखाना से चांदनी चौक तक चल रहे समतलीकरण कार्य के निरीक्षण के दौरान निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि रिस्टोरेशन कार्य में तेजी लाए जाने के निर्देश संबंधित को दिए।

इसी तरह ... जाने के निर्देश ... चौराहा से सुभ ... निरीक्षण किया ... की चौकी चौ

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार दै. भास्कर पृष्ठ 13 दिनांक 17-4-2021

बंद होंगे प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड्स और पीवीसी बैनर

सिंगल यूज्ड प्लास्टिक पर केंद्र ने मांगे सुझाव

भास्कर न्यूज | भोपाल

17-4-2021

राज्यों की तरफ से सिंगल यूज्ड प्लास्टिक के खिलाफ सख्ती नहीं दिखाने के चलते केंद्र ने ड्राफ्ट जारी करके सीधे जनता से सुझाव मांगे हैं। इसमें स्पष्ट बताया गया है कि केंद्र सरकार सिंगल यूज्ड प्लास्टिक के दायरे में आने वाले किन सामानों पर बैन लगा रही है। इनमें प्लास्टिक स्टिक से बने ईयर बड्स, गुब्बारों, आइस्क्रीम के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्लास्टिक की डंडिया, कैंडी स्टिक,, थर्मोकोल, प्लेटें, कप, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे, कटलरी, मिठाई के डिब्बों को लपेटने वाले प्लास्टिक फिल्में, कार्ड, सिगरेट पैकेट, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पीवीसी बैनर शामिल हैं। अब मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड केंद्र के इस ड्राफ्ट पर प्रदेश के लोगों को सुझाव देने के लिए जागरुक कर रहा है। इसके लिए satyendra.kumar07@gmail.com ईमेल आईडी दिया गया है, जहां आप अपने सुझाव दे सकते हैं।

क्या होता है 'सिंगल यूज्ड प्लास्टिक'?

चालीस माइक्रोमीटर (माइक्रोन) या उससे कम स्तर के प्लास्टिक को सिंगल यूज प्लास्टिक कहते हैं। पॉलीथीन, स्ट्रॉ, पानी की बोतल और भोजन का सुरक्षित रखने वाले पैकेट सिंगल यूज प्लास्टिक के ही बने होते हैं। इसे सिंगल यूज प्लास्टिक कहते हैं।

दफ्तर, होटल और मैरिज हॉल में पाबंदी : मप्र सरकार ने 4 जून 2019 को सरकारी दफ्तरों में इसे प्रतिबंधित किया है। कार्यालयों के सार्वजनिक कार्यक्रम में डिस्पोजल प्लास्टिक, कैरी बैग, फूड पैकेजिंग, प्लास्टिक लावर, पाट बैनर, झंडे, बॉटल, कटलरी प्लेट्स, कप, गिलास, स्ट्रा, फोर्क, स्पून व थर्माकोल से निर्मित सामान एवं सभी होटल, मैरिज गार्डन में प्लेट्स कप, गिलास समेत सभी प्लास्टिक, थर्माकोल की वस्तु प्रतिबंधित की है।

निगम लॉकडाउन में भी कर रहा कार्रवाई

खुले में गंदगी करने पर वीएस मेडिकोस पर जुर्माना

रतलाम. कोरोना वायरस के दौरान लॉकडाउन लगा हुआ है। इस दौरान जो दुकान खुल रही है उनके द्वारा गंदगी करते पाए जाने पर जुर्माना करने का क्रम नगर निगम द्वारा जारी है। घांस बाजार क्षेत्र में निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निरीक्षण के दौरान खुले में कचरा पाये जाने पर वीएस मेडिकोस पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया।

आयुक्त झारिया ने बताया कि उनके द्वारा सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक निरीक्षण किया जा रहा है। जिन मोहल्लों में गंदगी पाई जाती है वहां पर तुरंत वार्ड दारोगा को बुलाकर सफाई करवाई जा रही है। इसके अलावा जो दारोगा सफाई का कहने के बाद भी तुरंत अमल में नहीं ला रहे है उनको निलंबीत किया जा रहा है। आयुक्त ने बताया कि दुकानदार कचरा को डस्टबिन में डालने के बजाए सड़क पर डाल रहा था। आयुक्त के अनुसार निगम के कचरा संग्रहण वाहन में ही डालें खुले में कचरा डाले जाने पर संबंधित के विरुद्ध जुर्माने की कार्रवाई व इसकी पुनरावृत्ती होने पर दुकान सील करने की कार्रवाई की जावेगी।

खुले में गंदगी करने पर वी.एस. मेडिकोस पर जुर्माना

रतलाम। घांस बाजार क्षेत्र में निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निरीक्षण के दौरान खुले में कचरा पाये जाने पर वी.एस. मेडिकोस पर 500 रुपये का जुर्माना कर भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं किये जाने के निर्देश संबंधित को दिये।नगर निगम द्वारा नागरिकों एवं दुकानदारों से अपील की जाती है कि वे अपनी दुकानों एवं घरों से निकलने वाले कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन में ही डाले खुले में कचरा डाले जाने पर संबंधित के विरूद्ध जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी व इसकी पुनरावृत्ती होने पर दुकान सील करने की कार्यवाही की जावेगी।

गंदगी करने पर चार व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम। कलेक्टर व प्रशासक नगर निगम गोपालचंद डाड तथा निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माना की कार्रवाई की जा रही है। खुले में कचरा डालकर गंदगी करने पर स्पाट फाइन दल द्वारा मोहम्मद रफीक घास बाजार पर 500, हरमाला रोड क्षेत्र में सुरेश पर 500, वहीद पर 250 व बाबू पर 100 रुपये का जुर्माना किया गया। जुर्माने की कार्रवाई उप स्वच्छता निरीक्षक विराट मेहरा के अलावा मनोज टांक, पवन झांझोट, आकाश शिंदे, राकेश ललावत व मनोज झांझोट आदि द्वारा की गई।

नई दुनिया 17-4-2021

वीएस मेडिकोस पर किया जुर्माना

रतलाम ● घांस बाजार क्षेत्र में निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निरीक्षण के दौरान खुले में कचरा पाए जाने पर वीएस मेडिकोस पर 500 रुपए का जुर्माना कर भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं किए जाने के निर्देश संबंधित को दिए। नगर निगम द्वारा नागरिकों एवं दुकानदारों से अपील की जाती है कि वे अपनी दुकानों एवं घरों से निकलने वाले कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन में ही डालें खुले में कचरा डाले जाने पर संबंधित के विरुद्ध जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

संकलन-नगर निगम, रतलाम अखबार ---पृष्ठ 15 दिनांक 17-4 2021

मास्क नहीं लगाने पर होगा जुर्माना

रतलाम। कलेक्टर एवं प्रशासक गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार कोविड-19 (नोवल कोरोना वायरस) के संक्रमण को रोकने हेतु नगरीय क्षेत्र रतलाम में मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नगर निगम के स्पॉट फाईन दल द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है। म.प्र. लोक स्वास्थ्य अधिनियम-1949 के अन्तर्गत कोविड-19 (नोवल कोरोना वायरस) के कारण होने वाली महामारी को संक्रामक बीमारी के रूप में अधिसूचित किया गया है।

मास्क नहीं लगाने पर होगा जुर्माना

रतलाम। कलेक्टर एवं प्रशासक गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार कोविड-19 (नोवल कोरोना वायरस) के संक्रमण को रोकने के लिए नगरीय क्षेत्र रतलाम में मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नगर निगम के स्पॉट फाईन दल द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है। म.प्र. लोक स्वास्थ्य अधिनियम-1949 के अन्तर्गत कोविड-19 के कारण होने वाली महामारी को संक्रामक बीमारी के रूप में अधिसूचित किया गया है। उक्त बीमारी संक्रमित वस्तु को स्पर्श तथा संक्रमित व्यक्ति के छींकने, खांसने तथा थूकने से बहुत तेजी से फैलती है। उक्त बीमारी की रोकथाम के लिए शासन द्वारा मास्क पहनना भी अनिवार्य किया गया है। नागरिकों से अपील है कि वे अनिवार्य रूप से मास्क लगाएं, हाथ सेनेटाइज करें साथ ही कोरोना गाइड लाइन का पालन करें।

मास्क नहीं लगाने पर होगा जुर्माना

रतलाम। कलेक्टर एवं प्रशासक गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार कोविड-19 (नोवल कोरोना वायरस) के संक्रमण को रोकने हेतु नगरीय क्षेत्र रतलाम में मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नगर निगम के स्पॉट फाईन दल द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है। म.प्र. लोक स्वास्थ्य अधिनियम-1949 के अन्तर्गत कोविड-19 (नोवल कोरोना वायरस) के कारण होने वाली महामारी को संक्रामक बीमारी के रूप में अधिसूचित किया गया है। उक्त बीमारी संक्रमित वस्तु को स्पर्श तथा संक्रमित व्यक्ति के छींकने, खांसने तथा थूकने से बहुत तेजी से फैलती है। उक्त बीमारी की रोकथाम हेतु शासन द्वारा मास्क पहनना भी अनिवार्य किया गया है। नागरिकों से अपील है कि वे अनिवार्य रूप से मास्क लगायें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

मास्क नहीं लगाने पर होगा जुर्माना

निगम के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी लगाएंगे दंड

रतलाम. अब तक शहर में मास्क के बगैर सड़क पर पाए जाने वाले लोगों पर पुलिस व प्रशासन के कर्मचारी ही कार्रवाई करते थे। अब नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के दारोगा व अन्य कर्मचारी भी सड़कों पर जुर्माना लगाकर दंड वसूलते नजर आएंगे। इसके लिए निगम प्रशासक व कलेक्टर गोपालचंद्र डाड ने निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया को कार्रवाई करने को कहा है।

निगम के प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी एपीसिंह ने बताया कि मप्र लोक स्वास्थ्य अधिनियम-1949 के अन्तर्गत कोविड-19 (नोवल कोरोना वायरस) के कारण होने वाली महामारी को संक्रमण बीमारी के रूप में अधिसूचित किया गया है। उक्त बीमारी संक्रमित वस्तु को स्पर्श तथा संक्रमित व्यक्ति के छींकने, खांसने तथा थूकने से बहुत तेजी से फैलती है। उक्त बीमारी की रोकथाम हेतु शासन द्वारा मास्क पहनना भी अनिवार्य किया गया है। ऐसे में अब जो नागरिक सड़क पर बगैर मास्क के नजर आएंगे उन पर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, वार्ड दारोगा कार्रवाई करेंगे।

मास्क नहीं लगाने पर होगा जुर्माना

रतलाम। कलेक्टर एवं प्रशासक गोपालचन्द डाड व निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार कोविड-19 (नोवल कोरोना वायरस) के संक्रमण को रोकने हेतु नगरीय क्षेत्र रतलाम में मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नगर निगम के स्पॉट फाईन दल द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है। म.प्र. लोक स्वास्थ्य अधिनियम-1949 के अन्तर्गत कोविड-19 (नोवल कोरोना वायरस) के कारण होने वाली महामारी को संक्रामक बीमारी के रूप में अधिसूचित किया गया है। उक्त बीमारी संक्रमित वस्तु को स्पर्श तथा संक्रमित व्यक्ति के छींकने, खांसने तथा थूकने से बहुत तेजी से फैलती है। उक्त बीमारी की रोकथाम हेतु शासन द्वारा मास्क पहनना भी अनिवार्य किया गया है। नागरिकों से अपील है कि वे अनिवार्य रूप से मास्क लगायें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार दै. भास्कर –पृष्ठ 1 ......दिनांक 17-4 2021

आपदा में निगम कर्मचारियों के काम की सराहना कीः खुद, परिवार व समाज को बचाने की दी सलाह

रतलाम | महामारी में मैदानी स्तर पर काम करने वालों डोर टू डोर कचरा कलेक्शन, सफाई और सैनिटाइज्ड व्यवस्था में लगे कर्मचारियों को निर्देश और चेतावनी देने के बजाए शुक्रवार को कमिश्नर सोमनाथ झारिया ने मनोबल बढ़ाया। इसके लिए वे शुक्रवार सुबह 8 बजे कर्मशाला पहुंचे। सभी को मास्क लगाने और सैनिटाइजर का बार-बार उपयोग करने की हिदायत देते हुए कहा आपदा की परिस्थिति में निगम कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए कोताही न बरतें। इससे आप खुद, परिवार और समाज का जीवन बचा सकेंगे। उन्होंने ड्राइवर, हेल्परों को सैनिटाइजर व ट्रिपल लेयर मास्क देने के निर्देश दिए। उपायुक्त विकास सोलंकी, जलप्रदाय प्रभारी सत्यप्रकाश आचार्य, एमके जैन, स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह सहित 120 से ज्यादा मैदानी कर्मचारी उपस्थित रहे।